Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

लैंगिक समानता एवं युवाओं का दृष्टिकोण

प्रीति कुमारी*

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) श.कै.रि.सिं. राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – लैंगिक समानता का अभिप्राय महिलाओं और पुरूषों के पास समान संसाधन या समान आवश्यकताओं से नही हैं बल्कि इसका अभिप्राय महिलाओं, पुरूषों एवं ट्रांसजेंडर के लोगों के अधिकार, जिम्मेदारी एवं अवसर की समानता से हैं। लैंगिक समानता महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। लैंगिक समानता मूल रूप से निष्पक्षता के मार्गदर्शक सिद्धान्त पर आधारित हैं यहां निष्पक्षता का अभिप्राय बिना किसी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के न्यायपूर्ण व्यवहार एवं सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करने से हैं। लैंगिक समानता एवं युवाओं का दृष्टिकोण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समकालीन विषय है, जो समाज के विकास, न्याय और समोवशिता से जुड़ा हुआ है। लैंगिक समानता आखिर क्यों किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए एक आवश्यक तत्व है। लैंगिक समानता का यह अर्थ नहीं कि समाज में सभी व्यक्ति एक लिंग के हो अपितु समाज में स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार, अवसर, सम्मान और उन्हें समान रोजगार के अवसर प्राप्त होना है। यह केवल कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, जो समाज की हर परत में झलकती है। सरकार के द्वारा लैंगिक समानता के स्तर को उंचा उठाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही है। हांलाकि आज भी हम उस स्तर को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाये है।

लैंगिक असमानता सूचकांक–2021 मे भारत 0.490 स्कोर के साथ 191 देशो मे से 122 वे स्थान पर हैं। पिछले 10 वर्षो में GII मे भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई हैं जो देश मे लैंगिक समानता हासिल करने मे प्रगतिशील सुधार का संकेत देती हैं। लैंगिक समानता के स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ–साथ समाज और देश के युवाओं का भी विशेष योगदान रहा है।

आज की युवा पीढी इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। उनकी सोच, दृष्टिकोण और सक्रियता समाज को एक नए दिशा में ले जा रही है।

लैंगिक समानता जैसे विषय पर युवाओं में सकारात्मक सोच में वृद्धि हुई है। युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से लैंगिक समानता की वकालत का एक नया आयाम दिया है। महिलाऐं सेना, विज्ञान, खेल और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है।

शब्द कुंजी – संसाधन, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, निष्पक्षता, पक्षपात, समावेशिता, लैंगिक, समकालीन, अवसर, अधिकार सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण, न्याय, सक्रियता, सोशल मीडिया, युवा पीढ़ी, मानसिकता, उत्कृष्ट प्रदर्शन इत्यादि।

प्रस्तावना – भारत एक बहुआयामी और विविधताओं से युक्त देश है जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करती है। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएँ लम्बे समय से विद्यमान रही हैं, जिनमें लिंग आधारित असमानता एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या रही है। लैंगिक समानता केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसक लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर, सम्मान तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संम्बंधित है। किसी भी राष्ट्र के सतत एवं समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गो को समान अवसर प्राप्त हो और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए।

भारतीय समाज परम्परागत रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समाज रहा है जिसमें लम्बे समय तक महिलायों की भूमिका को घर और परिवार तक सीमित माना गया। परिणामस्वरूप महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सम्पत्ति, निर्णय–निर्माण तथा सामाजिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में अनेक बाधाओं और असमानताओं का सामना करना पड़ा। इतिहास में महिलाओं की स्थिति को अनेक चरणों मे देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किन्तु समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण उनकी स्थिति में गिरावट आई। आधुनिक काल में शिक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलनों और सरकारी प्रयासों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, आज भी लिंग आधारित असमानता समाज के विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान और योजनाएं लागू की। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा महिलाओ के संरक्षण से सम्बंधित अनेक प्रावधान किए गए है। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं जैसे बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, महिला शिक्षा अभियान, महिला सुरक्षा कानून तथा आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ संचालित की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य समाज में महिलाओं को स्थिति को मजबूत करना तथा लैंगिक भेदभाव को कम करना रहा है। इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि शिक्षा, वेतन, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक अवसरों

के क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता दिखाई देती है।

लैंगिक समानता यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता हैं। पढने मे असमर्थ सभी वयस्कों में महिलाओं की संख्या अभी भी लगभग दो तिहाई हैं। यूनेस्को शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता ध्यान देने का आहवान करता हैए जिसमें पहुँचए विषय वस्तुए शिक्षण और अधिगमए सन्दर्भ एवं प्रद्धतियांए अधिगम परिणाम और जीवन एवं कार्य के अवसर शामिल हैं। भारतीय समाज में लैंगिक समानता में युवा पीढी का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हैं उनकी आधुनिक सोच से लैंगिक समानता बढ रही हैं। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता हैं। 8 मार्च 2024 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेरिस में 7 मार्च 2024 को रिलीज हुई डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म हर एजुकेशन अवर एजुकेशन तीन महाद्धीपो की चार युवा महिलाओं के जीवन पर आधारित हैंए जो शिक्षा के अपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं। यह फिल्म शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति की एक शानदार झलक पेश करती हैं और दिखाती हैं कि शिक्षा के माध्यम से लडकियो और महिलाओं को सषक्त बनाना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता हैंए बल्कि उनके परिवारोंए समुदायों और वास्तव में पूरे समाज के जीवन को बेहतर अनाता हैं। इससे यह बात साबित होती हैं कि कोई भी देश या समाज शिक्षा के समान अवसर प्रदान करके ही समाज मे लैंगिक समानता स्थापित कर सकते हैं।

विश्व स्तर पर भी लैंगिक समानता विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र द्धारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (SD Gs) मैं लक्ष्य संख्या 5 का उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना है। भारत ने भी इस दिशा में कई नीतिगत कदम उठाए है, परंतु आकड़े यह दशति हैं कि अभी और सुधार की आवश्यकता है।

हाल के आंकडों के अनुसार, भारत की स्थिति लैंगिक समानता के क्षेत्र में मिश्रित रही है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131 व स्थान पर रहा, जो दर्शाता है कि आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रतिनित्व जैसे क्षेत्रों में अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतिया मौजूद है।

दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कई शैक्षिक स्तरों पर लड़कियों की भागीदारी लड़कों से अधिक दर्ज की गई है और उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन लगातार बढ़ रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि सामाजिक सोच और अवसरों में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। फिर भी रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। श्रम भागीदारी से जुड़े आँकड़ो के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को कार्य भागीदारी में उल्लेखनीय अंतर मौजूद है जो आर्थिक समानता की दिशा में चुनौतियों को दर्शाता है। इसी प्रकार युवाओं के समय उपयोग अध्ययन से ज्ञात होता है कि युवा महिलाओं पर घरेलू कार्यों और देखभाल की जिम्मेदारियाँ अपेक्षाकृत अधिक होती है जबकि युवा पुरुषों का समय अधिकतर वेतनयुक्त कार्यों और अन्य गतिविधियों में व्यतीत होता है।

वर्तमान समय में युवा वर्ग सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम माना जाता है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ युवा आबादी समाज की दिशा और विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। शिक्षा, डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया तथा वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण युवाओं की सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। आज के युवा समानता, स्वतंत्रता, महिला अधिकार तथा सामाजिक न्याय जैसे मुद्दो के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक जागरुक दिखाई देते है। हाल के सामाजिक रुझानों से यह भी स्पष्ट होता है कि नई पीढ़ी पारंपरिक लैंगिक मान्यताओं को चुनौती दे रही है।

युवाओं का दृष्टिकोण सामाजिक वातावरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संस्कृति तथा मीडिया से प्रभावित होता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि भारत के युवा लैंगिक समानता को किस प्रकार देखते है तथा उनकी सोच समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में किस प्रकार योगदान दे सकती है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारत में लिंग समानता के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना है। इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि युवा वर्ग लैंगिक समानता को किस प्रकार समझता है, उनके विचारों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से है तथा सामाजिक परिवर्तन और समानता स्थापित करने में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह अध्ययन भविष्य में नीतिगत सुधारों तथा सामाजिक जागरुकता के लिए उपयोगी आधार प्रदान कर सकता है।

भारत में लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण

1. **पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था-** भारतीय समाज लंबे समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था से प्रभावित रहा है जिसमें पुरुषों का परिवार और समाज में अधिक अधिकार तथा निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है। इससे महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाती है।
2. **पुत्र वरीयता-** भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी और वृद्धावस्था का सहारा माना जाता है। जबकि पुत्रियों को आर्थिक बोझ समझा जाता है।
3. **शिक्षा में असमानता -** हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। लाखों लड़कियां स्कूल सुविधाओं की कमी और सामाजिक कारणों से पढाई छोड़ देती है।
4. **आर्थिक निर्भरता और वेतन असमानता-** महिलाओं को रोजगार के कम अवसर मिलते हैं और समान कार्य के लिए वेतन अंतर भी देखा जाता है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है।
5. **दहेज प्रथा और बाल विवाह -** दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाती है। कम उम्र में विवाह शिक्षा और आर्थिक अवसरों को सीमित कर देता है।
6. **घरेलू कार्यो का असमान बोझ-** महिलाएँ घर और देखभाल से जुडी बिना वेतन वाले कार्यों में पुरुषो की तुलना में अधिक समय देती है। इससे रोजगार और व्यक्तिगत विकास के अवसर कम हो जाते है।
7. **सामाजिक रूढ़िवादिता और लैंगिक धारणाएँ -** समाज में यह धारणा बनी रहती है कि कुछ कार्य केवल पुरुषों या केवल महिलाओं के लिए है। ये रूढ़िवादी विचार समान अवसरों में बाधा बनते है।
8. **सुरक्षा और सामाजिक प्रतिबंध-** महिलाओं की सुरक्षा सम्बंधी चिंताओं तथा सामाजिक प्रतिबंधों के कारण उनकी शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी प्रभावित होती है।

इन कारणों से स्पष्ट होता है कि भारत में लैंगिक असमानता केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक संरचनाओं से जुड़ी हुई समस्या है। इस समाप्त करने के लिए शिक्षा,

जागरुकता, नीतिगत सुधार के तथा युवाओं की सकारात्मक भागीदारी आवश्यक है।

भारत में लैंगिक समानता पर युवाओं का दृष्टिकोण– भारत में लैंगिक समानता के प्रति युवाओं का दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। शिक्षा, तकनीकी विकास, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के प्रभाव से युवा वर्ग महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों का समर्थन कर रहा है। आज के युवा यह मानते हैं कि समाज के विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय निर्माण में भागीदारी आवश्यक है।

युवा पीढ़ी रोजगार, राजनीति, खेल, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सकारात्मक रूप से देखती है। अधिकांश युवा समान कार्य के लिए समान वेतन, सुराक्षत कार्यस्थल तथा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार के पक्षधव है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी लैंगिक भेदभाव, महिला अधिकारों और लैंगिक न्याय जैसे मुद्दों के प्रति जागरुकता बढ़ाई है।

भारत में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के प्रयास :

1. संवैधानिक प्रावधान– भारतीय संविधान महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को निशिद्ध करता है। अनुच्छेद 16 रोजगार के समान अवसर की व्यवस्था करता है। ये प्रावधान लैंगिक समानता को बढ़वा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

2. सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम :

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना – बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु।
2. सुकन्या समृद्धि योजना– बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहित करने हेतु।
3. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण सहायता के लिए।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है।

3. शिक्षा को बढ़ावा – महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, नि:शुल्क शिक्षा योजनाएँ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना तथा छात्रवृत्तियाँ लागू की गई है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करती है।

4. कानूनी सुधार:

1. दहेज निषेध अधिनियम 1961
2. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
3. कार्यस्थल पर महिलायों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनिय, 2013
4. बाल विवाह निषेध अधिनियम

इन कानुनो का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हिंसा को रोकना है।

5. महिला सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी– महिलाओं का स्वरोजगार, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) तथा कौशल विकास योजनाएं महिलाओं का आर्थिक रुप से मजबूत बनाने में सहायता कर रही है।

6. राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि – पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर महिला की भागीदारी बढ़ी है। इससे महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने के अवसर प्राप्त हुए है।

7. सामाजिक जागरूकता अभियान – सरकार और सामाजिक संगठनो द्वारा लैंगिक समानता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, शिक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इन सभी प्रयासों के बावजूद समाज में पूर्ण लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए अभी भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। केवल सरकारी नीतियाँ ही अपर्याप्त नहीं है बल्कि सामाजिक सोच में परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार और युवाओं को सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

निष्कर्ष – भारत में लैंगिक समानता एक जटिल सामाजिक समस्या है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पारिवारिक कारकों से प्रभावित होती है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, कानून और नीतियाँ लागू की गई है, जिनसे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले है। फिर भी पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। समाज में जागरुकता, शिक्षा का प्रसार, पांरपरिक सोच में बदलाव तथा युवाओं को सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यदि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार प्राप्त होंगे, तभी एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और विकसित समाज की स्थापना संभव हो सकेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. NITI Aayog (2024-25). SDG India Index Report - लैंगिक समानता से (SDG–5) से सम्बधित आंकडे।
2. Ministry of Women and Child Development. National Policy for Women एवं महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित रिपोर्ट।
3. UN Women.Progress on Gender Equality in India Reports.
4. UNICEF- Adolescent and youth Gender Equality Reports in India.
5. Landry, M., Vyas A. N., Malhotra, G. & Nagouraj, N. C. (2019). Adolescents development of gender equity attitudes in India. International Journal of Adolescence and youth, 25 (1).
6. Debnath, K (2023), Women Empowerment and Youth Perception in India: A Special Reference to Agartala Municipal Drea. Shachkash: Jowinal of Visual and Performing Asts-
7. Nag. R. Bhola, P. Janardhana, N. etal, (2025): Bridging the gap: A narrative synthesis of interventions Promoting gender equality in schools in India. Educational Review.
8. भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 15, एवं 16 – समानता एवं भेदभाव निषेध सम्बंधी प्रावधान।

****